

समाहरणालय, खगड़िया।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

वापसी अधिसूचना

पटना दिनांक/2013

एस0 ओ0

- 2597 /रा0/दिनांक - 13.11.13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-फतेहपुर, थाना नं0-319 परगना फरकिया, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया के सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् तमोली टोला जमालपुर से पी0डब्लू0डी0 सड़क तक सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु ग्राम-फतेहपुर, थाना नं0-319 के भीतर कमोबेस बीघा X कटठा X छटांक X धुर का जो मानक माप से 0.0675 एकड़ के बराबर होता है, एक भू-खण्ड अपेक्षित है, जिसमें 0.0675 एकड़ भूमि बास योग्य-एकड़ बंजर भूमि है जिसका खेसरा सं0-258, 260 का अंश है। अधिसूचना की स्वीकृति ज्ञाप सं0-15डी0एल0ए0 खगड़िया (सम्पर्क पथ) 09/11 1305/रा0, दिनांक 15.07.2011 द्वारा प्राप्त है। इस भू-खण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है।

खण्ड 'क'

उत्तर - सर्वे खेसरा सं0 243 सम्पूर्ण है।
दक्षिण - सर्वे खेसरा सं0-259 सम्पूर्ण है।
पूरब - सर्वे खेसरा सं0-260 का अंश है।
पश्चिम - सर्वे खेसरा सं0-247 का अंश है।

खण्ड 'ख'

उत्तर - सर्वे खेसरा सं0 259 सम्पूर्ण है।
दक्षिण - सर्वे खेसरा सं0-258 का अंश पी0डब्लू0डी0 रोड।
पूरब - सर्वे खेसरा सं0-258 का अंश है।
पश्चिम - सर्वे खेसरा सं0-258 का अंश है।

अधियाची विभाग को प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण की आवश्यकता महसूस नहीं किया है।

अतः यह वापसी अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 (1) 1894 यथा संशोधित 1984 के तहत की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12-6-13
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
खगड़िया।

अपर समाहर्ता,
खगड़िया।

समाहर्ता,
खगड़िया।

६०/-
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक - 2597 /रा0, दिनांक - 13.11.13

प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियां सी0डी0 के साथ निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्राकाशनार्थ एवं प्रकाशित संसकरण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उपसमाहर्ता, जिला गजट खगड़िया को जिला गजट के अगले अंक में प्राकाशनार्थ एवं प्रकाशित जिला गजट की 5.0 प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता/अपर समाहर्ता एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव